हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

22.8.2017/1100/av/ag/1

अध्यक्ष : मौनसून सत्र में भाग लेने के लिए मैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन रहेगा कि सदन की कार्यवाही को सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाने में मुझे सहयोग दें। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि सभी माननीय सदस्यों को सदन में नियमों की परिधि में रहकर अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले, वहीं मैं सरकार से भी अपेक्षा करुंगा कि आप माननीय सदस्यों द्वारा चाही गई सूचना का उत्तर पूर्णतया दें।

इससे पूर्व कि आज की कार्यवाही आरम्भ करें मेरा सभा मण्डप में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय-गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रीय-गान गाया गया)

22.8.2017/1100/av/ag/2

शोकोद्गार

अब माननीय मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री सदानंद चौहान, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि श्री सदानंद चौहान का 25 जून, 2017 को 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री सदानंद चौहान का जन्म 27 अक्तूबर, 1955 को नाहन, जिला सिरमौर में हुआ था। स्वर्गीय श्री सदानंद चौहान वर्ष 2003 में पहली बार प्रदेश विधान सभा के लिए नहान विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए।

उनकी सामाजिक कार्यों तथा गरीब लोगों की सेवा और बागवानी क्षेत्र में विशेष रुचि थी। उन्होंने हमेशा ही पिछड़े व कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया।

यह माननीय सदन श्री सदानंद चौहान द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

22.8.2017/1100/av/ag/3

अध्यक्ष : अब माननीय नेता प्रतिपक्ष शोकोद्गार में अपने विचार व्यक्त करेंगे।

प्रो0 **प्रेम कुमार धूमल :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव इस सदन के सदस्य रहे श्री सदानंद चौहान के निधन पर प्रस्तुत किया है मैं उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। श्री सदानंद जी वर्ष 2003 में इस सदन के लिए पहली बार चुने गये थे। वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां उठाते थे। वे इस सदन में लोक जन शक्ति पार्टी के एकमात्र सदस्य थे और पांच वर्ष तक उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। वे समाज सेवा के लिए जाने जाते थे और नाहन क्षेत्र के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। मैं उनके निधन पर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें तथा परिवार को इस सदमे को सहने की शक्ति दें।

मैं आपसे और इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि विगत दिनों में और भी दुर्घटनाएं हुई हैं। खासकर के पधर के पास लैंड स्लाइड के कारण लगभग 50 लोगों की जान गई है। भारी वर्षा और लैंड स्लाइड से प्रदेश भर में अन्य स्थानों पर भी बहुत सारे

लोगों की मौत हुई है। हम उनको भी श्रद्धांजलि भेंट करें और पीड़ित परिवारों को संवेदना व्यक्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया, धन्यवाद।

अगला वक्ता श्री वर्मा द्वारा जारी

22.08.2017/1105/TCV/AG/1

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोकोद्गार प्रस्तुत किया है और माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने जिसमें अपने आपको शामिल किया है, मैं भी श्री सदानंद चौहान जी के निधन पर शोक् व्यक्त करता हूं। वर्ष 2003 से 2008 तक वे नाहन विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे और इस नाते वहां के लोकप्रिय नेता जाने जाते थे। गरीबों के लिए काम करना उनका एक स्वभाव था। उनके बीच में बैठना, चलते-फिरते किसी भी चाय की दुकान पर या खोखे पर बैठना, गांव में जाना और उनके साथ बैठकर चुल्हे के पास भोजन करना, उनका ऐसा सरल स्वभाव था। उनका निधन अल्प आयु में हो गया। पिछले दिनों वे कैंसर रोग से ग्रस्त थे, उसके साथ संघर्ष करते हुए पी0जी0आई0 (चण्डीगढ़) में उनका इलाज चल रहा था और उनकी लगभग 70 प्रतिशत रिकवरी हो चुकी थी। परन्तु बीच में एकाएक हृदय गति रूकने की वज़ह से उनकी मृत्यु हो गई। उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उनकी बेटी, बेटा और बाकी परिवार के सदस्यों, पत्नी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

इसके अलावा पिछले दिनों भारी बरसात और भू-स्खलन के कारण जो मृत्यु हुई हैं, उनके प्रति भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रभु उनको अपने चरणों में वास प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार मैं अपने आपको इस शोकोद्गार में शामिल करता हूं।

22.08.2017/1105/TCV/AG/2

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री सदानंद चौहान एक बहुत ही तेज़तरार और नौज़वान विधायक इस माननीय सदन के रहे हैं। वे समाजसेवी और एक सफल व्यावसायी भी थे। उनका लोगों से मिलना-जुलना हमेशा रहता था। वे एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके परिवार की स्वर्गीय डॉ0 वाई0एस0 परमार के परिवार के साथ बड़ी घनिष्ठता रही है। मैं समझता हूं कि उनकी मृत्यु के बाद बहुत बड़ी कमी समाज में आई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति दें तथा उनके परिवार के सदस्यों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

इसके अलावा दिनांक 12 अगस्त, 2017 की रात को कोटरोपी में 11 और 12 बज़े के बीच में जो दर्दनाक हादसा हुआ, यह दर्दनाक हादसा कभी न होता, क्योंकि यह पहाड़ी कई दिनों से धरक रही थी और लोगों ने इसके बारे में प्रशासन को भी सूचित कर दिया था। इसके बारे में एस0डी0एम0 और डी0सी0 को भी सूचित कर दिया गया था। कुछेक लोग वहां से निकल गये लेकिन बहुत सारे लोग वहीं रहे। वहां चाय की दुकानें थीं और रात के समय बसें वहां पर खड़ी हो गई। यदि एहतियात बरता होता तो यह दर्दनाक हादसा न होता। इसमें तकरीबन 47 बॉडीज़ रिकवर हुई है और अभी भी 4-5 बाडीज़ रिकवर होना बाकी है।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी.....

22.08.2017/1110/ns/as/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर .... जारी।

इसमें मेरे ही चुनाव क्षेत्र के एक-दो नौज़वान भी शामिल हैं। एक नौज़वान की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। उसका सारा परिवार हर रोज़ कोटरोपी जाता है। वे वहां बैठे रहते हैं और शाम को घर वापिस आ जाते हैं। यह बड़े दुःख की बात है। जोगिन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र से ही चार लोगों की मृत्यु हुई है जिनमें से दो फौज़ी हैं और वे दोनों अविवाहित हैं। उनके घर में केवल मां ही है, पिता नहीं है । उनका एक ही बेटा था जो हादसे में मारा गया। इसमें एक लड़की सुरूचि भी मारी गई है। अभी तक प्रेम सिंह की बॉडी रिकवर नहीं हुई है।

उसके घर के ऐसे हालात हैं जिनको देखा नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश से भी इस हादसे में 12 लोगों की मृत्यु हुई है। उनमें से 9 लोगों की बॉडीज़ रिकवर हुई हैं और इन 9 लोगों का दाह संस्कार जोगिन्द्रनगर के समाज सेवियों द्वारा किया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। हराबाग, गुम्मा से लेकर कोटरोपी तक सारा एरिया साल्ट माइन्ज़ के अन्तर्गत आता है और इन क्षेत्रों की पहाड़ियां हमेशा गिरती रहती हैं। बरसात का मौसम न भी हो तब भी ये पहाड़ियां गिरती रहती हैं। वर्तमान सरकार के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव भी वहां मौके पर गए थे। इन्होंने भू-वैज्ञानिकों से वहां सर्वे की बात कही है। मुझे आशा है कि इसके बारे में सरकार एतिहातन कदम उठाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। धन्यवाद।

22.08.2017/1110/ns/as/2

अध्यक्ष : स्वर्गीय श्री सदानंद चौहान, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर जो उल्लेख इस सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करता हूं तथा शोक सतंप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इस माननीय सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा।

हाल ही में प्रदेश में अधिक वर्षा और भूस्खलनों से बहुत सारी जानें गई हैं। इन दिनों यह बड़ी दुःखद घटना हुई है और जिन लोगों की जानें गई हैं उनके प्रति हम इस सदन में श्रद्धांजलि देते हैं तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को यह सदन अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

प्रश्न काल आरम्भ

...(व्यवधान)....

आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

22/08/2017/1115/RKS/AS/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हमने आज नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया है। हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। एक नाबालिग कन्या स्कूल से घर की ओर जाती है और रास्ते में उसका बलात्कार हो जाता है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आरोपियों के फोटोज़ माननीय मुख्य मंत्री जी की वेब साइट और फेसबुक पर वायरल हो जाते हैं और फिर वे फोटोज़ विद्ड्रा हो जाते हैं। जब इस मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है तो सूचना देने के बाद भी 6 घंटे तक वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचता। जिन आरोपियों को पकड़ा जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, उनमें से एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में ही हत्या हो जाती है। अगर पुलिस कस्टडी के अंदर हवालात में थोड़ी भी आवाज होती है तो संतरी वहां पर एकदम खड़ा हो जाता है। यहां पर एक हत्या हो गई और डी.जी.पी. और आई.जी. अपनी प्रैस कॉन्फ्रैंस में कहते हैं कि हमने सारे-का-सारा केस सोल्व कर दिया है। अगर यह केस सोल्व हुआ है तो फिर इसे सी.बी.आई. को क्यों भेजा गया?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुरेश भारद्वाज जी, आपने चर्चा शुरू कर दी है। आपने जो एडजर्नमैंट मांगी है उसका निर्णय तो लेने दीजिए। आपने तो चर्चा ही शुरु कर दी है।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए। इस सदन में सारी बिजनैस को बंद करके हिमाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और प्रश्नकाल स्थगित किया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह मामला सब-ज्यूडिस है और इस पर ये चर्चा कैसे मांग सकते हैं? (व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इन पौने पांच वर्षों में जो कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस पर माननीय सदस्यों ने आपको स्थगन प्रस्ताव दिया है।

22/08/2017/1115/RKS/AS/2

इसके लिए हमने न केवल अभी बल्कि समय रहते सरकार को आगाह करने की भी कोशिश की है। हमने एक आरोप पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया था।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप स्टेटमैंट मत दीजिए। नियम-67 के बारे में आप जो बोलना चाहते हैं उसे बोलिए।

श्री रविन्द्र सिंहः सर, सरकार ने प्रदेश में बहुत जगह एक होर्डिंग लगवाया है और यहां पर भी विधान सभा के नीचे यह होर्डिंग लगा हुआ है।

Speaker: Don't make any statement, अभी चर्चा तो होने दो।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेटमैंट नहीं दे रहा हूं। उस होर्डिंग पर लिखा है "प्रदेश सरकार के चार साल, उपलब्धियां बेमिसाल।" इन बेमिसाल उपलब्धियों का चिट्ठा हमने महामहिम राज्यपाल जी को दिया था और उसी पर हमने आपसे निवेदन किया है कि इस पर अविलम्ब चर्चा की जाए। वर्तमान में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। शिमला में दो साल का एक बच्चा पानी के एक टैंक के अन्दर दो साल तक पड़ा रहता है और सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस केस की जांच कर रहे एस.पी. को बदला नहीं जाता है और उसे वहां पर ही रखा जाता है। क्या सरकार उस एस.पी. को शैल्टर नहीं दे रही है? शिमला जिला के अंदर ही 16 साल की बच्ची का रेप करने के बाद बड़ी बर्बरता से उसकी हत्या कर दी जाती है। एस.पी. वही है परन्तु उसको सस्पैंड नहीं किया जाता है। कानून-व्यवस्था कहां गई है और यह शिमला के अंदर ही क्यों हो रहा है? रोहड़ू में नेपाली मूल की शगुन नाम की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई। जब उसके पिता खुंखरू राम ने इसको रोकने की कोशिश की तो उसकी भी हत्या कर दी

गई और दराट के साथ उसका गला काट दिया गया। आगे एक बकरा था उसे भी मार दिया गया। जब वह अपराधी अपने गांव पहुंचा तो वहां पर उसने 95 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। सरकार क्या कर रही है? क्या यह सरकार संवेदनशील है?

श्री0 बी0 एस0 द्वारा जारी...

22.08.2017/1120/बी एस/डी सी/1

श्री रविन्द्र सिंह जी द्वारा जारी.....

आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करेंगे। हमने इसमें उस समय भी यही कहा था, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के ऊपर एक्शन लिया जाए। मुख्य मंत्री महोदय, Law and Order Department आपके पास है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक मिनट।

श्री रविन्द्र रवि: माननीय मुख्यमंत्री जी आप विपक्ष के ऊपर ऊलूल-जूलूल बातें करते हैं और उनकी महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज करते हैं। यह आपका ही शैल्टर है, यदि समय रहते आपने कानून-व्यवस्था संभाली होती तो यह घटनाएं घटित न होती। आप उनको बचाने की कोशिश कर रहें हैं। आप के ऊपर यह भी हमारा सीधा आरोप है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष: आज 22 अगस्त, 2017 को 9:17 मिनट पर माननीय सदस्य, डॉ0 राजीव बिंदल, श्री सुरेश भारद्वाज, श्री महेश्वर सिंह, श्री रणधीर शर्मा, श्री नरेन्द्र ठाकुर व श्री रविन्द्र सिंह जी से नियम 67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। जो प्रदेश में निरंतर बिगड़ रही कानून व्यवस्था के संबंध में है। यह सूचनाएं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षरित हैं। मैंने इन सूचनाओं को तत्काल सरकार से वस्तुस्थिति जानने के लिए

प्रेषित कर दिया है। जैसे ही सरकार से इस विषय पर विस्तृत टिप्पणी प्राप्त होगी, मैं इस चर्चा के लिए समय निर्धारित करुंगा। ...(व्यवधान).. सरकार का जवाब आने दीजिए।

श्री रणधीर शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार की ओर से टिप्पणी आएगी तब सत्र समाप्त हो जाएगा। यह चार दिन का तो सत्र है। अगर सरकार चार दिन में जवाब नहीं देगी तो क्या चर्चा नहीं होगी?

22.08.2017/1120/बी एस/डी सी/2

अध्यक्षः हम सरकार से जल्दी जवाब मांगेगे; हम सरकार से कहेंगे की इस पर जल्दी जवाब दे । ...(व्यवधान).. स्थगन प्रस्ताव इस पर बनता ही नहीं है।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, हमने काननू व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा मांगी है। यह केस सब ज्यूडिस नहीं है। जो माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं की मामला सब ज्यूडिस है, वह एक ही इंसिडेंट है। प्रदेश में सैंकड़ो ऐसे इंसिडेंटस हो रहे है जिनसे लगता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। हमने उस कानून व्यवस्था पर चर्चा मांगी है। कोई मेटर सब ज्यूडिस नहीं है। सरकार से जवाब हम अपने आप लेगें आप चर्चा करवाइये। चार दिन तक सरकार जवाब नहीं देगी तो क्या चर्चा नहीं होगी? यह काम रोको प्रस्ताव है।

अध्यक्षः सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर से इस केस को सी0बी0आई0 को दिया है। सी0बी0आई0 प्रोब कर रही है। हमें सी0बी0आई0 की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। ...(व्यवधान).. जब सरकार ने सी0बी0आई0 को केस दे दिया है, तो आपको सी0बी0आई0 पर भरोसा होना चाहिए। Let the CBI take it.

श्री डी0टी0 द्वारा .....जारी

अध्यक्ष... जारी

... (व्यवधान..) कोर्ट के ऑर्डर से सी.बी.आई. को जांच करने के लिए यह केस दिया गया है। उसमें आप क्या चर्चा करेंगे? (व्यवधान..) कोर्ट के ऑर्डर से ही यह केस सी.बी.आई. को दिया हुआ है। (व्यवधान..) आप किस चीज की चर्चा कर रहे हैं(व्यवधान..) No, I will not allow. यह तो सी.बी.आई जांच करके बताएगी। (व्यवधान..) हम अपने आप ही ख्याली-प्लाव पकाते रहते हैं। इस पर मैं ऐसे चर्चा अलाउ नहीं करुंगा। आप इसका गवर्नमैंट से जवाब आने दीजिए then I will fix it up. इसमें निश्चय ही फैसला दिया जाएगा। (व्यवधान..)।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले सप्ताह सोलन में दो मर्डर हुए। क्या वे भी सब-ज्यूडिस हैं? एक 18 साल की लड़की को उसके घर में घुसकर दराट से मार दिया जाता है। (व्यवधान..)

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि माननीय अध्यक्ष जी ही बिजनैस फिक्स करते हैं और जो आपने कानून-व्यवस्था का मामला उठाया है, इस पर इन्होंने कह दिया है कि कल जो सरकार की रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक आपको इस विषय पर चर्चा करने का समय दिया जाएगा। प्रदेश के अंदर जो नुकसान हुआ है, आदमी मारे गए हैं उस पर आज आपके बहुत से महत्वपूर्ण विषय लगे हुए हैं और आप इन विषयों पर चर्चा कीजिए व प्रश्न पूछिए। यहां पर शोर करने से कोई काम नहीं होगा। (व्यवधान..)

अध्यक्षः आप सरकार का व्यू तो सुनिए। (व्यवधान..)

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नियम-130 के अंतर्गत बाढ़ पर चर्चा मांगी है और अब ये माननीय सदस्य बाढ़ पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अब इन्होंने अपना एजेंडा बदल दिया है। (व्यवधान..)

22/08/2017/1125/DT/DC/2

अध्यक्षः कानून-व्यवस्था पर आपको समय दिया जाएगा। (व्यवधान..) this is not the way. आपको कानून-व्यवस्था पर भी समय दिया जाएगा परन्तु this is wrong thing.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर वन रक्षक होशियार सिंह की हत्या कर दी जाती है और हत्या के केस को आत्महत्या में बदल दिया जाता है। (व्यवधान..)।

अध्यक्षः मैं आपको यह कह रहा हूं कि जो आपने कानून-व्यवस्था के ऊपर चर्चा मांगी है, हम उस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और उस पर चर्चा करने के लिए आपको किसी नियम के तहत समय देंगे। (व्यवधान..)। आप शांति बनाए रखिए, इस चर्चा के लिए हम आपको समय निर्धारित करेंगे(व्यवधान..)।

संसदीय कार्य मंत्रीः इन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सैंटिटी ही खत्म कर दी है। (व्यवधान..)।

अध्यक्षः गवर्नमैंट के निर्णय के बाद मैं इस पर चर्चा दूंगा। आपको चर्चा का समय दिया जाएगा। आप गवर्नमैंट का जवाब आने दीजिए। अब प्रश्नकाल होगा।(व्यवधान..)। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेता (नेता प्रतिपक्ष) बोलें तो आप तो कम-से-कम चुप रहिए।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा....जारी

22.08.2017/1130/SLS-HK-1

अध्यक्ष महोदय जारी..

आप धूमल साहब को बोलने ही नहीं देना चाहते, स्वयं ही बोलते जा रहे हैं। माननीय धूमल जी, आप बोलिए।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व लोगों के जान-माल और सम्मान की रक्षा करना होता है। यहां कहा जा रहा है कि सही नियम के तहत अपनी बात रखिए। नियम-67 किस काम के लिए है? सत्तापक्ष का जो प्रमुख दायित्व है वह लोगों के जान-माल और सम्मान की रक्षा करना है। जब इस दायित्व में सत्तापक्ष असफल रहा है तो मुझे लगता है कि इस चर्चा के लिए इससे बढ़िया और कोई मौक़ा नहीं हो सकता। इसलिए इस नियम को इनवोक करके चर्चा अलौ की जाए।

आप बार-बार कह रहे हैं - 'प्रश्न काल प्रारंभ'। अध्यक्ष महोदय, क्या कोई इससे बड़ा प्रश्न हो सकता है जब लोगों की जान सुरक्षित नहीं, माल सुरक्षित नहीं और नाबालिग बच्चियों तक की इज़्ज़त सुरक्षित नहीं। यह कोई एक घटना की बात नहीं है। आपने कहा कि मामला सीबीआई को दे दिया है। सीबीआई को जब मामला दिया गया तो एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में कहा कि हालात बहुत खराब हो गए हैं। जब कहा गया कि इस पर एफेडैविट दो तो उनको ख़याल आया कि अगर मैं कहूं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई है; प्रदेश सरकार जांच नहीं करवा सकती, फिर तो इस एफेडैविट से ही अनुच्छेद 356 का मामला बन जाएगा। शायद उसके बाद विचार बदला गया। सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई की जो जांच है, उससे संबंधित अधिकतर बातें समाचार-पत्रों में आ रही हैं। आप इस मामले के सब-ज्युडिस होने की बात कह रह हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सारी चर्चाएं, जो ध्यान में आ रही हैं, लगता है कि इनमें लगातार कोताही हुई है। मुख्य मंत्री जी की फेसबुक पर 4 फोटो आना, फिर उनका डिस-अपीयर हो जाना और फिर कल उन लोगों के घर पर रेड पड़ना क्या दर्शाता है? आज के समाचार-पत्रों के अनुसार कल उनके घरों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। जो होशियार सिंह का मामला है, उसमें हम लगातार बोलते रहे कि उसकी हत्या हुई है। प्रदेश में जो वन माफिया सक्रिय है उसके कारण यह हत्या हुई है। ऐसा ही मामला हमने वर्ष 2014 में धर्मशाला में हुए सत्र में भी उठाया था। भरमौर में हुई वन

22.08.2017/1130/SLS-HK-2

कटाई की जांच को दबा दिया गया। तारादेवी के पास जो 477 वृक्ष काटे गए, उनके लिए कहा गया कि वह झाड़ियां थीं। अब उसमें एनजीटी का फ़ैसला आया है जिसमें 1.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। अब उसमें 477 की जगह 4770 वृक्ष लगाने का आदेश हुआ है। क्या यह सारी बातें चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय, होशियार सिंह के कत्ल में स्टोरी बनाई गई कि उसने ज़हर खाया। फिर नसें काट लीं और उटला होकर 20 फुट ऊपर जाकर आत्महत्या करने के लिए लटक गया। कल के समाचार-पत्रों में आया है कि उस मामले में 4 वन काटू पकड़े गए हैं। होशियार सिंह की कॉल डिटेल निकाली गई है और उस कॉल डिटेल में उन लोगों के नाम थे। जो उसका स्युसाईड नोट था, उसमें भी नाम थे। क्या पुलिस को इस बात का कई महीनों तक पता ही नहीं लगा कि कॉल डिटेल्ज क्या थीं। अगर उनके नाम थे तो वह पहले क्यों अरैस्ट नहीं हुए? ये सारी बातें इस बात की द्योतक हैं।

अध्यक्ष महोदय, बिन्दल जी ने कहा कि सोलन में दो नौजवानों - एक लड़के और एक लड़की की हत्या दिन-दिहाड़े हो गई। इसी तरह रोहड़ू में 2 लोगों के गले काट दिए गए। ठियोग में भी लाश मिली है। चम्बा के तीसा में बलात्कार हो गया। कुल्लू में भी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। जब गुड़िया कांड का शोर मचा तो कहा गया कि वहां दोषी पकड़ लिए गए हैं। सबेरे डी०जी० प्रैस कॉंफ्रैंस करते हैं कि असली दोषी पकड़ लिए गए हैं। शाम को प्रैस कॉंप्रैंस करते हैं कि अब बदल दिए हैं, अब कोई और दोषी हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सारी परिस्थितियां गंभीर हैं। इसलिए आप अपनी आत्मा को झिंझोड़िए। यह इस विधान सभा का अंतिम सत्र है। कहीं ऐसा संदेश न जाए कि आपने भी यहां पर इस अच्छी चर्चा को करने का मौक़ा नहीं दिया। इससे गंभीर विषय कोई और नहीं हो सकता। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जब आप विषय अलौ करेंगे, तब हम इस पर डिटेल्ड चर्चा करेंगे। मैं सारे उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन इस चर्चा को करने का इससे बढ़िया मौक़ा और कोई नहीं हो सकता

जारी ...श्री गर्ग जी

22/08/2017/1135/RG/HK/1

क्रमागत----प्रो. प्रेम कुमार धूमल

और मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि सरकार भी चाहेगी कि सही पक्ष लोगों के सामने जाए। लोकतंत्र की खूबी भी यही है कि अगर कहीं कोई कमी रह गई है या गल्ती रह गई है, तो उसको चर्चा के माध्यम से सुधारा जाए। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों की जान-माल और उनके सम्मान की रक्षा के लिए, मैं आपसे आग्रह करुंगा कि इस पर चर्चा आरम्भ करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि इस चर्चा के लिए मैं समय निर्धारित करुंगा और मैंने सरकार को यह भेजा है, सरकार की रिपोर्ट आने दीजिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी इस विषय पर चर्चा के लिए कह रहे हैं, तो इससे प्रश्नकाल का समय बर्बाद होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रश्नकाल में आप इस पर चर्चा क्यों करना चाहते हैं? आपको अलग से कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय देंगे। उस समय आप बड़ी खुशी से इस पर चर्चा कीजिए। लेकिन आप प्रश्नकाल में इस बात को रखना चाहते हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 यही कहता है कि सत्र के उस दिन का सारा बिजनैस रोककर, सारा काम छोड़कर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाए। अभी हमारे माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कहा है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय प्रदेश की जनता के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस अतिमहत्वपूर्ण विषय को हम नियम-67 के अन्तर्गत यहां उठाना चाह रहे हैं और आप इस पर चर्चा की तुरन्त अनुमति प्रदान करें जिसके बाद सरकार जवाब देगी। क्या सरकार इतनी निकम्मी है कि इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है?

अध्यक्ष : सबसे पहली बात यह है कि जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आपने मांग की है, उस पर चर्चा करना इस समय ठीक नहीं है।

22/08/2017/1135/RG/HK/2

संसदीय कार्य मंत्री : जो बाढ़ से हुए नुकसान और राहत का मुद्दा आपने यहां लगाया है क्या वह कोई विषय नहीं है? आपने यह मुद्दा यहां क्यों लगाया? वह भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री रणधीर शर्मा : हम बाढ़ से हुए नुकसान के मुद्दे को भी यहां उठाएंगे। ---(व्यवधान)--- उस पर भी हम चर्चा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री : यदि यह विषय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपने यहां इसको क्यों लगाया? ----(व्यवधान)---हमने नहीं दिया, आपके ही तीन सदस्यों ने यह नोटिस दिया हुआ है। हमारा एक सदस्य है---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : कृपया आप लोग बैठ जाएं। मैं विधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब आप कोई बात यहां रखते हैं या किसी मुद्दे पर कोई चर्चा मांगते हैं, तो उस चर्चा का विषय मेरे टेबल पर तो जरूर होना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या मांग कर रहे हैं और वह अभी तक मेरे पास नहीं है। -----(व्यवधान)--- सुनिए, मेरी बात सुनिए। उसके फैक्ट्स मेरे पास नहीं हैं। मैंने सरकार को भेजा है और जब वे आ जाएंगे, तो उस पर चर्चा कीजिए। ---(व्यवधान)---

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अन्तर्गत सदन शुरू होने से एक घण्टा पहले नोटिस दिया जाता है और जब सदन शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आप अपना फैसला देंगे कि आप स्थगन प्रस्ताव को मान रहे हैं या नहीं? हमारा कहना यह है कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसको विधान सभा नज़रअन्दाज़ नहीं कर सकती है क्योंकि अगर ये विधान सभा में चर्चा नहीं करना चाहते और केवल हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो इनको यहां बैठने का अधिकार हीं नहीं रहता है। इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करना

चाहता हूं कि सारे विजनैस को रोककर इस विषय पर पहले चर्चा की जाए। ----(व्यवधान)----

22/08/2017/1135/RG/HK/3

अध्यक्ष : मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप नियम-67 के अन्दर इस चर्चा को न लाएं, यह चर्चा नियम-67 के अन्तर्गत नहीं लग सकती। आप नियम-67 के बजाय इसको किसी और नियम में लगाएं। ----(व्यवधान)---

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये घटनाएं हमारे समय में नहीं हुई हैं बल्कि यह इस सरकार के समय में हुई हैं। यह गुड़िया बलात्कार-हत्याकाण्ड इनके समय में हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड की हत्या इनके समय में हुई है, वन माफिया इनके समय में सक्रिय हो रहा है और उनको ये संरक्षण दे रहे हैं। ये सारी घटनाएं हमारे समय में नहीं हुईं इसलिए हम आपसे इस पर चर्चा करने के लिए नियम-67 के अन्तर्गत समय मांग रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए आप इस पर चर्चा करने के लिए अनुमति दें।

अध्यक्ष : आप मुझे समय तो दें, मैं भी आपको समय दूंगा। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। मैं आपको समय दूंगा। --(व्यवधान)--माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। --(व्यवधान)--

श्री सुरेश भारद्वाज : एच.आर.टी.सी. की जीप में रीजनल मैनेजर आता है, उसमें चिट्टा पकड़ा जाता है--(व्यवधान)--तो इस प्रकार प्रदेश में ड्रग माफिया राज कर रहे हैं, वन माफिया राज कर रहे हैं।

अध्यक्ष : कृपया भारद्वाज जी, आप बैठ जाएं। माननीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

22/08/2017/1135/RG/HK/4

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है और कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सरकार चर्चा से नहीं घबराती, लेकिन चर्चा सदन में कब लगानी है, यह अध्यक्ष पर निर्भर करता है। हम तैयार हैं, आप नियम-130 के अन्तर्गत कल चर्चा लगाइए, हम चर्चा का जवाब देंगे। हम एक-एक घटना का जवाब देंगे।

एम.एस. द्वारा जारी

22/08/2017/1140/MS/YK/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी----

और यह भी जवाब देंगे कि आपके समय में भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थीं। हमने तब भी नियम 67 के तहत ऐडजोर्नमैंट का नोटिस दिया था। -(व्यवधान)-सरकार चर्चा से नहीं डरती है। हम चर्चा का जवाब देंगे और विपक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन दोषियों पर कोई राजनीतिक संरक्षण की बात नहीं है। यह मैं सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं।

22/08/2017/1140/MS/YK/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि मेरे टेबल पर वह मटीरियल होना चाहिए जिस पर चर्चा होनी है। हमने नियम-67 के तहत जितना मटीरियल देना था वह दे दिया है। वह नोटिस है, आप नियम पढ़िए। उसके अनुसार इतना ही लिखना होता है जो लिखा गया है। अगर आपको कुछ और नियम चाहिए तो सदन को ऐडजोर्न करके अपने चैम्बर में मीटिंग बुलाइए, वहां और चर्चा कर लेते हैं ताकि उसके बाद अगर सदन चले तो इस पर चर्चा हो।

अध्यक्षः ठीक है, जैसा आप कहते हैं। हम आपको चर्चा के लिए मना नहीं कर रहे हैं लेकिन मुझे भी थोड़ा फीडबैक चाहिए कि उसमें क्या है। -(व्यवधान)-

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि नियम-67 के तहत जो नोटिस दिया गया है वह सही नियम में दिया गया है। जो बार-बार कहा जा रहा है कि सही नियम में बात उठाओ तो नियम-67 किस मर्ज़ की दवा है? यह तो पता लगना चाहिए क्योंकि इसमें प्रावधान है। मैंने यही निवेदन किया है कि सदन में चर्चा हो जाए क्योंकि माननीय सदस्यों को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जाकर बताना भी है कि जो यहां घटना घटी है उसका जिक्र हमने सदन में किया है। इसलिए आप अभी सदन को ऐडजोर्न कीजिए और उसके बाद रि-असेम्बल करके चर्चा करवा दीजिए। जो आप अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार से तथ्य आएंगे तो सरकार आपको जवाब थोड़े ही देगी? सदन में सवाल हम पूछेंगे -(व्यवधान)-

अध्यक्षः सरकार ने तो बोल दिया है कि वह चर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः तो सदन को ऐडजोर्न कीजिए और इस पर चर्चा करवाइए।
-(व्यवधान)- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लीजिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और हम पूछने के लिए तैयार हैं इसलिए आप चर्चा करवाने के लिए तैयार हो जाइए।

22/08/2017/1140/MS/YK/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रो0 धूमल जी ने अच्छा सुझाव दिया है कि आपके चैम्बर में बैठकर चर्चा कर लेते हैं। कल आप जो नियम 67 के तहत इन्होंने नोटिस दिया है उस पर नियम 130-कानून और व्यवस्था के तहत चर्चा फिक्स कर दीजिए। आज नियम-130 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 264 आदमी बाढ़ और बादल फटने से मरे हैं और इस पर विपक्ष ने चर्चा दी है। उसका जवाब सरकार देगी। इसलिए कल आप कानून और व्यवस्था पर नियम-130 के अंतर्गत चर्चा लाइए। हम एक-एक बिन्दु का जवाब देंगे। हम मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है लेकिन शोर मचाने से उसका इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए विपक्ष कल मामले को उठाए और सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, एक-एक

बिन्दु का विस्तृत तौर पर जवाब देंगे। यही मुझे आपसे निवेदन करना है। बेशक चर्चा आप अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में कर लीजिए। जो आपका सुझाव है वह ठीक है।

Speaker: I adjourn the House for 15 minutes to discuss it with the Hon'ble Leader of the Opposition and some other Hon'ble Members.

Continued by JS .....

22.08.2017/1200/जेके/एजी/1

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री (मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत) माननीय सदन में सरकार को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की कार्यसूची से अवगत करवाना चाहता हूं, जो इस प्रकार से हैः-

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

22.08.2017/1205/SS-AG/1

उद्योग मंत्री क्रमागतः

मंगलवार, 22 अगस्त, 2017 - (1) शोकोद्गार
(2) शासकीय/विधायी कार्य।

बुधवार, 23 अगस्त, 2017 - शासकीय/विधायी कार्य।

--(व्यवधान)--

वीरवार, 24 अगस्त, 2017 - (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) गैर-सरकारी सदस्य कार्य।

शुक्रवार, 25 अगस्त, 2017 - शासकीय/विधायी कार्य।

--(व्यवधान)--

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

अध्यक्षः मैंने आपको कह दिया है कि इस पर विचार हो रहा है, आपको चर्चा के लिए समय देंगे। --(व्यवधान)-- आपको (विपक्ष) चर्चा के लिए समय देंगे। उसके लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं।

22.08.2017/1205/SS-AG/2

<u>स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर।</u>

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखेंगे जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिवः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए

जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(1) हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 9); और

(2) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10)।

22.08.2017/1205/SS-AG/3

<u>कागजात सभा पटल पर।</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागजात सभापटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःका0 (नियुक्ति-IV)-बी(7)-1/1998 दिनांक 19.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.04.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री कुछ कागजात सभापटल पर रखेंगे।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाजी करने लगे।)

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1986 की धारा 45 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागजात सभापटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारीए, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए-(3)-3/2013 दिनांक 11.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.05.2017 को प्रकाशित; और

22.08.2017/1205/SS-AG/4

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, गैस्टेटनर आपरेटर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए(3)-2/201 दिनांक 11.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.05.2017 को प्रकाशित।

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुछ कागजात सभापटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, आशुटंकक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएस.डब्लू.डी.(बी)2-14/2016 दिनांक 22.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.03.2017 को प्रकाशित;
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएस.डब्लू.डी.(बी)2-15/2016 दिनांक 27.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.03.2017 को प्रकाशित;

22.08.2017/1205/SS-AG/5

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, चालक, वर्ग-III(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएस.डब्लू.डी.(बी)2-12/2016 दिनांक 20.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2017 को प्रकाशित; और

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, चपरासी एवं चौकीदार, वर्ग-IV(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएस.डब्लू.डी.(बी)2-11/2016 दिनांक 27.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.03.2017 को प्रकाशित।

22.08.2017/1205/SS-AG/6

अध्यादेश

अध्यक्षः अब श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 29.06.2017 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 2)** की प्रति, उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 29.06.2017 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017**

का अध्यादेश संख्यांक 2) की प्रति, उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखता हूं।

22.08.2017/1205/SS-AG/7

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

जारी श्रीमती के0एस

22.08.2017/1210/केएस/एएस/1

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति (वर्ष 2017-18) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं:-

i. समिति का **28वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का **29वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान** से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष: अब श्री खूबराम, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2017-18) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री खूब राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18), का 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

22.08.2017/1210/केएस/एएस/2

अध्यक्ष: अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18) समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री राकेश कालिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :

i. समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि कार्मिक विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

ii. समिति का 34वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जो कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाज़ी करते रहे)

22.08.2017/1210/केएस/एएस/3

अध्यक्षः मेरा आपसे निवेदन है (व्यवधान) मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका जो नोटिस आया है, मैं विचार कर रहा हूं, उस पर चर्चा होगी। (व्यवधान) लेकिन नियम-67 के अन्तर्गत नहीं। (व्यवधान) सुनिए तो सही। Similarly a matter which can be raised under any other procedural device, viz., calling attention notices, questions, short notice questions, half-an-hour discussion, short duration discussion, etc. cannot be raised through an adjournment motion. पहले आप सुन लीजिए। आपका विषय चर्चा में रखेंगें । (व्यवधान) I adjourn the House for the day.

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक 22 अगस्त, 2017 **सचिव।**